

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

फर्द अहकाम

क्र. नं. 101/12

तारीख 27/30/11/12

उन्वान - बृजमोहन बनाम रामेश्वर कोठे

दावा - बायत - बंटवारा एवं हवाई निषेधाज्ञा

12 वादी की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट ने दावा बायत बंटवारा एवं हवाई निषेधाज्ञा पेश किया। अवलोकन किया। प्रतिवादी गण को सूचना जारी हो। दावा दर्ज रजिस्ट्रार पत्रावली दिनांक 15-1-13 को पेश हो।

3459-63
3-12-12

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

15/3 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 4, 5 की तमील हो गई है। बायत तमील उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं. 2, 3 का बहल रहना बताया है। पोसाहा सुशासन गाँव के संघ समितियों से पच्चीर है। वारेर मधुमि भाइय दिनांक 19-2-13 को पेश हो।

19/3 वकूलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पीठासन अधिकारी भ्रमण/मोटिंग/अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 2-4-13 को पेश हो

27/3 वकूलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पीठासन अधिकारी भ्रमण/मोटिंग/अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 7-5-13 को पेश हो

7/5 वकूलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पीठासन अधिकारी भ्रमण/मोटिंग/अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 4-6-13 को पेश हो

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

1) पत्रावली पेश हुई | वादी वकील उपस्थित नहीं | प्रतिवादी वकील उपस्थित | कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं हैं | अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में रवारिज किया जाता है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफ्तर है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)